

मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड  
प्रशासन अनुभाग  
पर्यटन भवन, भदभदा रोड, भोपाल

क्रमांक 9306 प्रशा/स्था/पविनि/2016

भोपाल, दिनांक /07/16

//परिपत्र//

निगम सेवा (अवकाश) उपविधि 2004 की उपविधि-12 के अनुसार अस्वस्थ्यता के अतिरिक्त अन्य किसी आधार पर अवकाश हेतु आवेदन पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) कम से कम तीन सप्ताह (21 दिवस) पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि वे आकस्मिक/ऐच्छिक अवकाश को छोड़कर शेष अवकाशों के संबंध में नियमानुसार 21 दिवस पूर्व अवकाश आवेदन पत्र प्रस्तुत करें, तब ही अवकाश स्वीकृति के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

पृ. क्रमांक 9307 प्रशा/स्था/पविनि/2016

महाप्रबंधक(कार्मिक/सत्कार)  
भोपाल, दिनांक 25/07/16

प्रतिलिपि: -संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- ओ.एस.डी. अध्यक्ष महोदय, म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल।
- 2- निज सहायक, प्रबंध संचालक निगम मुख्यालय भोपाल।
- 3- निज सहायक, अपर प्रबंध संचालक निगम मुख्यालय भोपाल।
- 4- कार्यपालिक निदेशक (PPS/OVC) निगम मुख्यालय भोपाल।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष, निगम मुख्यालय भोपाल।
- 6- मुख्य अभियंता, निगम मुख्यालय भोपाल।
- 7- महाप्रबंधक (वित्त) निगम मुख्यालय भोपाल।
- 8- समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल/ इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/पचमढी/खजुराहो।
- 9- समस्त मार्केटिंग कार्यालय म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम नई दिल्ली/ मुम्बई/ कोलकाता/अहमदाबाद/हैदराबाद/लखनऊ /रायपुर/नागपुर/पुणे/बनारस।
- 10-समस्त प्रबंधक/प्रभारी प्रबंधक होटल/मोटल.....।
- 11-निगम के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 12-प्रबंधक (आई.टी.) निगम मुख्यालय भोपाल।
- 13-आदेश नस्ती/सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

महाप्रबंधक(कार्मिक/सत्कार)